कृपया अवलोकनार्थ

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग
ii कार्यालय आदेश ii

संख्या–01 / प्रा0आ0(अग्निकांड)–02 / 2024 / 463 / आ0प्र0, पटना–23, दिनांक–17-03-26

Fire Response Plan

सरदार पटेल भवन स्थित आपदा प्रबंधन विभाग के विभिन्न तलों पर अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षात्मक सावधानियाँ बरतने के लिए Fire Response Plan तैयार किया गया है, जो निम्न प्रकार हैः–

i. **निकासी योजना (Evacution Plan)**:– आपातकालीन स्थिति में निकासी योजना के तहत विभाग में कार्यरत कर्मचारियों / पदाधिकारियों को इमारत से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए विभाग के सभी तलों पर मैप प्रदर्शित किया गया है।

ii. **अग्निशमन यंत्रों का अधिष्ठापनः**– पर्याप्त मात्रा में विभिन्न टाईप के अग्निशमन यंत्रों का अधिष्ठापन कराया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग में विभिन्न प्रकार के अग्निशमन यंत्र अधिष्ठापित किए गए हैं। साथ ही, अग्निशमन यंत्रों की Expiry Date एवं Refilling अनुश्रवण हेतु अग्निशमन सेवाएँ को जिम्मेवारी दी गई है। इस संबंध में सरदार पटेल भवन के रख–रखाव हेतु नामित एजेंसी "कलसी बिल्डकॉन प्रा०लि०, पटना" के द्वारा भी यह कार्य किया जा रहा है। **अनु०–1 (पत्रांक–811 / आ०प्र० दिनांक–16.03.2024)।**

iii. **अग्निशमन यंत्रों का संचालनः**– अग्निशमन यंत्रों के संचालन प्रक्रिया को विभाग के सभी तलों पर चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है एवं विभाग के कर्मियों को अग्निशमन यंत्रों के संचालन का प्रशिक्षण समय–समय पर दिया जाता है।

iv. **आपातकालीन सम्पर्कः**– अग्निसुरक्षा के दृष्टिकोण से भवन में आपातकालीन सम्पर्क नम्बर विभाग के सभी तलों पर बड़े अक्षरों में लाल रंग से प्रदर्शित कर दिया गया है। विभाग के सभी तलों पर अग्निसुरक्षा पदाधिकारी तथा अग्निशमन यंत्र बनाने वाले कर्मचारी का मोबाईल नं० बड़े अक्षरों के साथ उचित स्थान पर प्रदर्शित किया गया है। साथ ही, अग्निशमन सेवा का दूरभाष संख्या भी प्रदर्शित किया गया है।

v. **आपातकालीन द्वारः**– अग्नि की घटना होने पर आकस्मिक निकास हेतु द्वार चिन्हित हैं एवं इनके मार्ग को बाधामुक्त रखा गया है। साथ ही, कोरिडोर एवं रास्ते को बाधामुक्त कर दिया गया है।

vi. **प्रशिक्षणः**— प्रथम तल, द्वितीय तल एवं तृतीय तल पर चिन्हित व्यक्तियों को Fire Extinguisher को चलाने का प्रशिक्षण अग्निशमन सेवाएँ के पदाधिकारियों के द्वारा पूर्व में ही दिया जा चुका है। अन्य पदाधिकारी/कर्मी के प्रशिक्षण हेतु वांछित सूची बिहार अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, आनंदपुर, बिहटा को उपलब्ध करा दी गयी है। जागरूकता एव सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से समय–समय पर विभाग में मॉकड्रिल का आयोजन किया जाता है।

vii. **विद्युत् उपकरणः**— विभाग के सभी तलों पर पंखा/लाईट/ए०सी० तथा अन्य विद्युत् संबंधित उपकरणों को बंद करने के लिए संबंधित कर्मियों को नामित किया गया है, ताकि कार्यालय समाप्ति के बाद विद्युत् उपकरणों को पूर्णरूपेण बंद किया जाए।

viii. **वातानुकूलित यंत्रः**— विभाग के सभी तलों पर संचालित ए०सी० को सरदार पटेल भवन के रख–रखाव हेतु नामित एजेंसी "कलसी बिल्डकॉन प्रा०लि०, पटना" के द्वारा समय–समय पर सर्विसिंग कराने की व्यवस्था की गयी है कि ए०सी० को आग लगने से बचाया जा सके।

ix. **फ्लोरोसेंट स्ट्रीपः**— विभाग के सभी तलों पर निकास मार्ग में फ्लोरोसेंट स्ट्रीप लगाया गया है ताकि विद्युत् आपूर्ति बंद होने पर भी निकास मार्ग प्रदर्शित होता रहे।

x. **क्या करें क्या ना करेंः**— आग लगने की स्थिति में क्या करें/क्या ना करें का बोर्ड भवन के सभी तलों पर लगाया गया है।

xi. **स्वाचालित यंत्रः**— विभाग के सभी तलों के कमरों/गलियारों में स्मोक डिटेक्टर/वाटर स्प्रिंकल/फायर अलार्म तथा अन्य अग्निशमन यंत्र अधिष्ठापित हैं, जिससे अग्निकांड की स्थिति में आग पर काबू पाया जा सके।

भवनों में आग लगने की स्थिति में क्या करें

- अग्निकांड के आपात स्थिति में कार्यालय को तुरन्त छोड़ दें तथा तेजी से सावधानी पूर्वक बाहर निकलें। बाहर निकलते समय अपने पीछे स्थित सभी दरवाजे को बंद करते जाए, ताकि आग एवं धुँआ के फैलाव को रोका जा सके। सभी बाहर आ जाएँ तब मुख्य दरवाजे को बंद कर दें।

- आपातकालीन स्थिति में पदाधिकारी/कर्मचारी Evacuation Plan मैप के अनुसार अपने नजदीकी निकास द्वार का ही प्रयोग करें।

- आग लगने की स्थिति में सर्वप्रथम Quick Response Team (QRT) के एक सदस्य आग बुझाने का प्रयास करेंगे। QRT के दूसरे सदस्य भवन के लिए नामित अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी/जिला अग्निशमन पदाधिकारी कंट्रोल रूम को तत्क्षण सूचित करेंगे। तीसरे सदस्य उपस्थित पदाधिकारियों/कर्मचारियों को बाहर निकालने में मदद करेंगे। निकास द्वार से बाहर निकलते समय शारीरिक रूप से अक्षम (दिव्यांग) व्यक्तियों को प्राथमिकता दें। यदि QRT के सदस्यों को ऐसा आभास हो कि उनके द्वारा आग पर काबू नहीं पाया जा सकता है, तो QRT के सदस्य भी सुरक्षित बाहर निकल जाएँगे। **अनु०:–2 (का०आ० सं०–112, दिनांक–19.06.2025)**

- आग लगने की आपातकालीन स्थिति में यदि आपके सामने धुँआ या आग की लपटें हों तो दूसरे मार्ग का उपयोग करें।

- यदि धुएँ से बाहर निकलना पड़े, तो नीचे लेटकर रेंगते हुए निकलें। आग और धुँआ ऊपर की ओर उठता है। फर्श से 1–2 फीट ऊपर की ओर उठता है। फर्श से 1–2 फूट तक स्वच्छ हवा मिल सकती है।

- दरवाजे को खोलने से पूर्व उसकी जाँच कर लें। घुटनों के बल चलें या झुककर चलें, ऊपर उठें। दरवाजे, नॉब और दरवाजे के बीच के स्थानों को हथेली के पीछे की ओर से छूकर देखें। दरवाजे गर्म हों, तो उसे नहीं खोलें। दरवाजा ठंडा महसूस हो, तभी उसे सावधानीपूर्वक खोलें, और यदि धुँआ या गर्मी भीतर आने लगे तो तेजी से उसे बंद कर दें।

- एक बार आप बाहर निकल जाएँ, तो अग्निशमन विभाग को बताएँ कि भवन के अंदर कोई व्यक्ति फँसा तो नहीं है। किसी भी कारण से तब तक भीतर नहीं पहुँचें, जब तक अग्निशमन विभाग के पदाधिकारी/कर्मी यह न कह दें कि अंदर प्रवेश करना सुरक्षित है।

- आग लगने की स्थिति में हमेशा भू–तल की ओर ही बचाव के लिए बाहर निकलें।

- आग लगने की स्थिति में किसी भी पदाधिकारी/कर्मचारी को अपने नजदीक उपलब्ध अग्निशमन यंत्रो का उपयोग कर आग बुझाने का प्रयास करना चाहिए।

- आग लगने की स्थिति में सीढ़ी का प्रयोग करें।

- सभी तलों पर कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय समाप्ति के बाद यह सुनिश्चित करना चाहिए की सभी विद्युत् उपकरण पूर्ण रूपेण बंद हों।

- आग लगने की आपातकालीन स्थिति में फोन नं0 101/112 पर तुरंत आग लगने की सूचना दें।
- आग से प्रभावित क्षेत्र की विद्युत् सप्लाई को ऑफ करें।
- आग लगने की स्थिति में सबसे पहले दिव्यांग व्यक्ति को बाहर निकालें एवं सुरक्षित स्थान पर ले जाएँ। प्रत्येक QRT में एक सदस्य को यह जिम्मेवारी दी गई है।

भवनों में आग लगने की स्थिति में क्या नहीं करें

- आग लगने की स्थिति में अनावश्यक रूप से भाग–दौड़ नहीं करें ताकि भगदड़ से बचा जा सके।
- बालकोनी का प्रयोग नहीं करें। उसका प्रयोग तभी करें जब बाहर निकलने का वह अधिकृत मार्ग हो।
- आग लगने की स्थिति में लिफ्ट का प्रयोग कभी नहीं करें। चूंकि यह किसी भी तल पर या स्थान पर जहाँ आग लगी है, रुक सकती है। सीधे उस सीढ़ी की ओर जाइए जहाँ धुँआ एवं आग की लपट नहीं हो।
- आग लगने की स्थिति में कभी भी अपने ऊपर के तलों पर अग्नि से बचाव के लिए नहीं जाएँ।
- विभाग के नामित अग्निसुरक्षा पदाधिकारी को यह ध्यान रखना चाहिए कि विद्युत उपकरणों के नजदीक ज्वलनशील वस्तु नहीं रखा हो।
- यदि आग तेल या बिजली के कारण लगी है, तो पानी का उपयोग न करें।
- आग लगने के स्थिति में छिपने की कोशिश न करें। तुरन्त बाहर निकलने का प्रयास करें।

16/3/2026

(संदीप कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–01/प्रा0आ0(अग्निकांड)–02/2024/463 /आ0प्र0, पटना–23, दिनांक–17-03-26

प्रतिलिपिः–सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी एवं कर्मी/श्री उमेश कुमार सिंह (M&E Expert), प्रभारी, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/3/2026

विशेष कार्य पदाधिकारी